

मां नसीब कौर का स्वास्थ्य ठीक राम रहीम को नहीं मिलेगी पैरोल

सुनारिया जेल अधीक्षक ने सिरसा प्रशासन की रिपोर्ट पर लिया फैसला

अमर उजाला ब्यूरो

रोहतक। सुनारिया जेल अधीक्षक ने सिरसा जिला प्रशासन की रिपोर्ट को आधार बनाकर शुक्रवार को डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल देने इनकार कर दिया। रिपोर्ट में राम रहीम की मां की हालत गंभीर न होने और कानून व्यवस्था बिगड़ने का अंदेश व्यक्त किया गया है। डेरा प्रमुख ने मां नसीब कौर (85) की देखभाल के लिए तीन सप्ताह की पैरोल मांगी थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए रोहतक जेल अधीक्षक को पांच दिन में कानून के अनुरूप फैसला लेने के आदेश दिए थे।

राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने 5 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि उसकी सास नसीब कौर (85) की हालत गंभीर है। उनकी सास अपने बेटे के बिना इलाज करवाने से इनकार कर रही है। देखभाल के लिए उनके पाँच दिन की पैरोल दी जाए। हाईकोर्ट ने सुनारिया जेल अधीक्षक को निर्देश दिए थे। इसके बाद सिरसा स्वास्थ्य विभाग के चार डॉक्टरों की कमिटी ने राम रहीम की मां के स्वास्थ्य की जांच की थी। कमिटी ने पाया कि उनकी हालत गंभीर नहीं है, वहीं एमपी सिरसा ने लॉ एंड आर्डर का हवाला दिया था। सिरसा प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर जेल अधीक्षक ने शुक्रवार को भेजी रिपोर्ट में पैरोल देने से इनकार किया है। गौरवपूर्ण है कि इससे पहले भी राम रहीम ने खेती के लिए 42 दिन की पैरोल मांगी थी। मामला तूल लेने पर याचिका वापस ले ली थी।



- डॉक्टरों के फैसले ने की थी राम रहीम की मां के स्वास्थ्य की जांच
- एमपी सिरसा ने कानून व्यवस्था खराब होने का दिया हवाला
- मंडल आवृत्त को भेजी राम रहीम की पैरोल मंजूर न करने की सूचना

दो मामलों में सजा काट रहा डेरा प्रमुख

सिबीआई कोर्ट ने 25 अगस्त 2017 को दो सीबीआई के साथ दुष्कर्म का दोगोप करार दिया गया था। उसके बाद पत्रकार छत्रपति हत्याकांड में भी उपकैद की सजा हुई है। तभी से राम रहीम सुनारिया जेल में बंद है।

हाईकोर्ट को ओर से जेल अधीक्षक राम रहीम को पैरोल देने के मामले में अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। जेल अधीक्षक को ओर से मामले को सुनवाई कर पैरोल देने को निरस्त कर दिया गया है। - पंकज व्याट, मंडलायुक्त, रोहतक।

हाईकोर्ट से सोमवार को इस संबंध पत्र मिलने के बाद एमपी सिरसा व सोएमओ सिरसा की रिपोर्ट के आधार पर पैरोल निरस्त करने की रिपोर्ट भेज दी गई है। - सुनील संगवान, जेल अधीक्षक सुनारिया।

परिवार के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं मां की देखभाल

सिरसा। डेरा प्रमुख राम रहीम को उनकी मां नसीब कौर की खराब तबीयत का हवाला देकर पैरोल की देने अजी हाईकोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन रोहतक जेल अधीक्षक ने शुक्रवार को पैरोल देने से इनकार दिया। दरअसल, रोहतक जेल अधीक्षक ने सिरसा के एमपी से राम रहीम की पैरोल देने को लेकर दो बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। यह पूछा गया था कि डेरा प्रमुख की मां की तबीयत वास्तव में गंभीर है या नहीं। यदि गंभीर है तो उनकी देखभाल करने वाला कोई परिवारिक सदस्य है या नहीं। साथ ही एमपी सिरसा में इस संबंध में कानून-व्यवस्था की जानकारी मांगी गई थी।

एमपी ने यह रिपोर्ट सिरसा डीएम अशोक कुमार गर्ग के पास भेजी। सिरसा डीएम ने सोएमओ को अवगतता में चार सदस्यीय चिकित्सा बोर्ड बनाया। साथ ही एमडीएम शालिनी चेतल से यह रिपोर्ट मांगी कि वे परिवार में और कौन-कौन सदस्य हैं, जो उनकी देखभाल कर सकते हैं। जानकारी अनुसार चिकित्सा बोर्ड ने उनकी मां नसीब कौर की हालत को गंभीर नहीं माना। वहीं एमडीएम की रिपोर्ट में उनके परिवारिक सदस्यों को जिक्र किया गया कि उनके परिवारिक सदस्य डेरा प्रमुख की मां की देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि जय से डेरा प्रमुख जेल में है, तब से बाकी परिवारिक सदस्य ही उनकी देखभाल कर रहे हैं। दोनों रिपोर्ट डीएम ने एमपी के पास भेज दी। वहीं एमपी सिरसा अरुण सिंह ने भी डेरा प्रमुख को पैरोल मिलने पर कानून-व्यवस्था बिड़ने की आशंका जताई है।

pacl पंजाब अल्कलीज एंड कैमिकल्ज लिमिटेड
 सीआईएन : L24119CH1975PLC003607
 रजि. कार्यालय : एमपीओ 125-127, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017

30 जून 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अनाडिटिड वित्तीय परिणामों (अस्थायी) का सार

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.06.2019 (अनाडिटिड)	समाप्त तिमाही 31.03.2019 (आडिटिड)	समाप्त तिमाही 30.06.2018 (अनाडिटिड)	समाप्त वित्तीय वर्ष 31.03.2019 (आडिटिड)
1.	परिचालनों से मूल्य आय (गुट)	9161.00	8937.49	10131.51	37573.36
2.	अन्य आय	124.54	127.10	127.97	479.22
3.	कुल आय (1+2)	9285.54	9114.59	10259.48	38052.58
4.	अवधि हेतु गुट लाभ/(हानि) (कर से पहले, विविध एवं अस्थायी असाधारण घटमाप)	1518.81	1974.86	2781.67	5875.49
5.	कर से पहले अवधि हेतु गुट लाभ/(हानि) (विविध एवं अस्थायी असाधारण घटमापों के बाद)	1518.81	1974.86	2781.67	5875.49
6.	कर के बाद अवधि हेतु गुट लाभ/(हानि)	1195.26	1983.03	2781.67	5586.03
7.	अवधि हेतु कुल मुहद आय (लाभ/(हानि) सहित) एवं अन्य मुहद आय (कर के बाद)	1180.44	2032.52	2853.19	5692.00
8.	वेहद आय टैक्स/टी प्रोविसन (कैश कैन्वू 10 है.)	2710.48	2710.48	2710.48	2710.48
9.	सुनसुनवाकन रिजर्व को निकालकर टैक्स/टी प्रोविसन (हानि) प्रति लेखा (र.) (वर्ष भर में एक बार भी नहीं)				51.55
10.	ए) मूल जो) निर्भर	4.40	7.31	10.25	20.58
		4.40	7.31	10.25	20.58

नोट : 1. उपरोक्त परिणाम आडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है। गत उपरोक्त वार 9 अगस्त 2019 को जारी की गई है।
 2. वर्षोक्त, वर्ष (वृत्तवर्ष) संबंधी माध्याम एवं प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं। विवरण 2015 के वित्तवर्ष 33 के तहत एडिज एक्सपेंस के पास द्वारा 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही अनाडिटिड विवरण प्रकटन के निम्नलिखित पत्रों का एक सार है। 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही अनाडिटिड वित्तीय परिणाम का संपूर्ण प्रकटन कोर्स/लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात् www.lbcindia.com एवं कंपनी वेबसाइट www.punjabalkalies.com पर उपलब्ध है।
 3. पूर्व अवधि के अडिटेड खाते-पत्रों का सार/संक्षिप्त-वर्णन भी पत्र है।

स्थान : चंडीगढ़
 दिनांक : 9 अगस्त, 2019

कृते थोई एवं उसकी तुल्य से प्रस्तावित -
 (पंजीत सिंह बग्गू, आईएएस)
 प्रबंध निदेशक

पालकी साहिब की गाड़ी में लगाया जीपीएस : अमृतसर। श्री गुरुद्वारा ननकाना साहिब से रवाना होने से पहले इंटरनेशनल नेगर कॉर्नर की लोकेशन को जानकारी देने के लिए श्री पालकी साहिब की गाड़ी में जीपीएस लगाया गया है।

प्रोक्टोप
 सभी प्रमुख मेडिकल
PILES
 बवासीर
 24 घण्टे के शुरूआती र पायें।
 Helpline No. 1800-121-00-00
 A Quality Product by GOPAL LIFESCIENCES